संख्या– /VI-I/2006

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग देहरादूनःदिनांक । मार्च ,2006

विषयः–**देहरादून में प्रस्तावित राज्य स्तरीय बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर हेतु साईट प्लान व मॉडल के मूल्यांकन हेतु आमंत्रित ज्यूरी के सदस्यों के मानदेय/ भोजन /आवास /यात्रा भत्ता आदि व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु अग्रिम आहरण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1473/ सं0नि0उ0/दो–3/ 2005–06, दिनांक 25 फरवरी,2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देहरादून में प्रस्तावित राज्य स्तरीय बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर हेतु साईट प्लान व मॉडल के मूल्यांकन हेतु आमंत्रित ज्यूरी के सदस्यों के मानदेय/ भोजन /आवास /यात्रा भत्ता आदि व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 56,500/– (रूपये छप्पन हजार पांच सौ) मात्र की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रूपये 27,000/– (रूपये सत्ताईस हजार) मात्र कोषागार से अग्रिम आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या–147/VI-I/2005 दिनांक 09–05–2005 द्वारा अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक –2205–कला एवं संस्कृति – 00 – 104–अभिलेखागार–03 राज्य अभिलेख–00–42–अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष में अवमुक्त धनराशि रूपये 4.00 लाख (चार लाख)मात्र के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों आंवटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय –समय पर जारी किये गये शासनादेशों मे निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाय।

4– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाये, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय न किया जाय।

5– उपरोक्त अग्रिम आहरित धनराशि का नियमानुसार समायोजन दिनांक 31–3–2006 तक कर लिया जाये तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी मद अथवा बीजक का दोहरा भुगतान न हो।

6– धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रख कर किया जाये।

7– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष –2005–06 अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक – 2205–कला एवं संस्कृति–00–104–अभिलेखागार–03–राज्य अभिलेख–00 –42 अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें लिखा जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–1067 /वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनु0–3/2006, दिनांक 01 मार्च,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्टांकन संख्या– 151 /VI-I/2006, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री,उत्तरांचल।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल,
5 - समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
6– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून सचिवालय।
8– बजट राजकोषीय अधिकारी,उत्तरांचल शासन,देहरादून।
9– अपर सचिव नियोजन।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव